रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एल.)-127 REGISTERED NO. D. (D.L.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 638] नई दिल्ली, सोमवार, अक्तूबर 9, 1989/आश्विन 17, 1911
No. 638] NEW DELHI, MONDAY, OCTOBER 9, 1989/ASVINA 17, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 9 अक्तूबर, 1989

का.आ. 796 (अ) : बहुराज्य सहकारी सोसाइटी अधिनियम, 1984 (1984 का 51) की, जिसे इसमें इसके पश्चात् "अधिनियम" कहा गया है, धारा 49 की उपधारा (1) में यह उपबंध है कि जहां किसी बहुराज्य सहकारी सोसाइटी के निदेशक बोर्ड का अधिक्रमण किया जाता है वहां केन्द्रीय रजिस्ट्रार एक या अधिक प्रशासकों को सोसाइटी के कार्यकलापों का एक वर्ष से अधिक की ऐसी अवधि के लिए जो अवधि केन्द्रीय रजिस्ट्रार

के विवेक पर, समय-समय पर बढ़ाई जा सकेगी, किन्तु जिसकी कुल अवधि दो वर्ष से अधिक नहीं होगी, प्रबंध करने के लिए नियुक्त कर सकेगा :

और नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली की बाबत किसी प्रशासक की नियुक्ति के लिए दो वर्ष की उक्त अवधि 14 अक्तूबर, 1989 को समाप्त होगी :

और नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के पुनर्वास के लिए विशेषज्ञ समिति द्वारा सुझाए गए ऐसे एकमुश्त अध्युपायों के परिणामस्वरूप जो कार्यान्वित किए जा चुके हैं, हानियों में पर्याप्त कमी हुई है, अलाभकर शाखाएं बंद हो गई हैं, अनावश्यक ऋणों से शोध्यों की वसूली हुई है, वित्तीय और वाणिज्यिक कामकाज बेहतर हुआ है और नेशनल कोआपरेटिव फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के कार्यकरण में व्यापक सुधार हुआ है :

और अधिक्रमण की दो वर्ष की अवधि की समाप्ति पर नए बोर्ड के गठन के लिए धारा 48 की उपधारा (4) अधीन कार्यवाई से, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप प्रारंभ किये गए पुनर्वास के क्रम के कार्यान्वयन की गति से धीमे पड़ने की संभावना है :

और नागरिक पूर्ति विभाग ने, जो नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड के लिए प्रशासनिक विभाग है, 14 अक्तूबर, 1989 के पूरे एक वर्ष की और अवधि, के लिए प्रशासन को बनाए रखने की सिफारिश की है :

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा 99 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली को अधिनियम की धारा 48 की उपधारा (1) के उपबंधों से उस सीमा तक छूट देती है जिस तक प्रशासक नेशनल कोआपरेटिव कंज्यूमर्स फेडरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के कार्यकलापों का 30 जून, 1990 तक की और अवधि के लिए प्रबंध करेगा ।

[सं. एल--11011/11/89-एल ए एम]
जे.एन.एल. श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture & Cooperation)

ORDER

New Delhi, the 9th October, 1989

S.O. 796(E).—WHEREAS sub-section (1) of section 48 of the Multi-State Co-operative Societies Act, 1984 (51 of 1984) hereinafter referred to as the 'Act' provides that where the Board of Directors of a multi-State co-operative society is superseded, the Central Registrar may appoint one or more administrators to manage the affairs of the society for such period not exceeding one year which period may, at the discretion of the Central Registrar, be extended from time to time, so, however, that the aggregate period does not exceed two years ;

AND WHEREAS the said period of two years for the appointment of an administrator in respect of National Co-operative Consumers Federation of India Limited, New Delhi will expire on the 14th October, 1989 ;

AND WHEREAS the package of measures suggested by the Expert Committee for rehabilitation of the National Co-operative Consumers Federation of India Limited, Which are since being implemented, have resulted in substantial reduction of losses closure of uneconomic branches, recovery of dues from the sundry debtors, better financial and commercial management and overall improvement in the working of the National Co-operative Consumers Federation of India Limited ;

AND WHEREAS action under sub-section(4) of section 48 for constituting a new board on the expiry of two years period of supersession is likely to retard the pace of implementation of the rehabilitation programme initiated as a result of the recommendations of the Expert Committee ;

AND WHEREAS the Department of Civil Supplies, the administrative Department for the National Co-operative Consumers Federation of India Limited, has recommended the continuation of the administrator for a further period of one year beyond the 14th October, 1989.

Now, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 99 of the Act, the Central Government hereby exempts the National Co-operative Consumers Federation of India Limited, New Delhi, from the provisions of sub-section (1) of section 48 of the Act to the extent that the administrator will manage the affairs of the National Co-operative Consumers Federation for a further period upto the 30th June, 1990.

[No. L-11011/11/89-L&M]
J. N. L. SRIVASTAVA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989